

न्यायालय:- तृतीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग- 2, गोहद जिला भिण्ड, म.प्र.
(समक्ष : पंकज शर्मा)

व्य. वाद क्रमांक :- 35-ए/2015

संस्थित दिनांक :- 09/04/2015

01. मंजीत पुत्र प्रीतम सिंह सिक्ख उम्र 54 वर्ष
 02. जगजीत सिंह पुत्र प्रीतम सिंह सिक्ख उम्र 47 वर्ष
 03. सरजीत सिंह पुत्र प्रीतम सिंह सिक्ख उम्र 42 वर्ष
 04. हरजीत सिंह पुत्र प्रीतम सिंह सिक्ख उम्र 37 वर्ष
 05. दलजीत सिंह पुत्र प्रीतम सिंह सिक्ख उम्र 30 वर्ष
 06. कमलजीत उर्फ निक्का पुत्री प्रीतम सिंह सिक्ख उम्र 40 वर्ष
 07. सतेन्द्र उर्फ गुड़िया पुत्री प्रीतम सिंह सिक्ख उम्र 32 वर्ष
- निवासीगण :- वार्ड क्रमांक 14 गोहद, तह.-गोहद, जिला-भिण्ड, (म.प्र.)

----- वादीगण

विरुद्ध

01. श्रीमती सुमन सोनी पत्नी अखिलेश सोनी उम्र 42 वर्ष
निवासी :- बड़ा बाजार गोहद, तह.-गोहद, जिला-भिण्ड, (म.प्र.)
02. अखिलेश सोनी पुत्र मन्टोलाल सोनी उम्र 47 वर्ष
निवासी :- मानिक चौक बड़ा बाजार, तह.-गोहद, जिला-भिण्ड, (म.प्र.)

----- प्रतिवादीगण

// निर्णय //

{आज दिनांक :- 08/04/2017 को घोषित किया}

(01). वादी मंजीत एवं अन्य द्वारा यह वाद प्रतिवादीगण के विरुद्ध वार्ड क्रमांक 14 गोहद, में स्थित भूमि पूर्व-पश्चिम लम्बाई 24 फुट एवं उत्तर-दक्षिण चौड़ाई 01 फुट 03 इंच, जिसे वादपत्र के साथ संलग्न नक्शे में लालस्याही से अ, ब, स से चिन्हित किया गया है, के संदर्भ में स्वत्व घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा के अनुतोष वावत् प्रस्तुत किया गया है। उक्त भूमि को निर्णय के आगे की कंडिकाओं में वादग्रस्त भूमि नाम से सम्बोधित किया गया है।

(02). प्रकरण में यह तथ्य प्रतिवादीगण द्वारा स्वीकृत है कि वह वादग्रस्त भूमि पर निर्माण कार्य कर रहे हैं।

(03). स्वीकृत तथ्यों से इतर वादीगण के अभिवचन संक्षेप में सारतः इस प्रकार हैं कि वादग्रस्त भूमि वादीगण की पैतृक सम्पत्ति है और उन्हें उनके पिता प्रीतम सिंह की मृत्यु के पश्चात् प्राप्त हुई थी। वादीगण को जो अन्य

जगह उनके आपसी बंटवारे में मिली थी, उस पर वादीगण के भवन निर्मित होकर वादीगण उनमें निवास कर रहे हैं। उक्त बंटवारे में वियंत सिंह पुत्र दिलीप सिंह को पूर्व से पश्चिम दिशा में 52 फुट 08 इंच लम्बी एवं उत्तर से दक्षिण दिशा में 13 फुट 09 इंच चौड़ी मुन्ना टेन्ट वाले की दीवाल से सटी भूमि दी गई थी। उक्त बंटवारा न्यायालय अपर जिला जज गोहद के व्यवहार वाद क्रमांक 35-ए/1992 में हुये राजीनामे के आधार पर पारित निर्णय दिनांक : 20/09/1998 से हुआ था। वादग्रस्त जगह वियंत सिंह के स्वामित्व एवं आधिपत्य की नहीं थी, ना ही उसे उक्त बंटवारे में दी गई थी बल्कि वादग्रस्त जगह वादीगण के पिता प्रीतम सिंह के स्वामित्व एवं आधिपत्य की थी, जो वादीगण को प्रीतम सिंह की मृत्यु के बाद प्राप्त हुई थी। जिसके वादीगण एकमात्र स्वामी एवं आधिपत्यधारी हैं, जिसमें पूजा घर बना हुआ है, जिसका उपयोग वादीगण करते आ रहे हैं। प्रतिवादी क्रमांक 01 ने वियंत सिंह को बंटवारे में प्राप्त 52 फुट 08 इंच गुणा 13 फुट 09 इंच भूमि दिनांक : 28/07/2014 को वियंत सिंह से विक्रय पत्र के माध्यम से क्रय कर ली है और उक्त विक्रय पत्र में उक्त क्रयशुदा भूमि के पीछे जो भाग निर्मित था, उसे गलत रूप से खाली भूमि दर्शाया गया है। इस प्रकार वादग्रस्त जगह ना तो प्रतिवादी ने क्रय की है और ना ही वियंत सिंह ने बेची है और वादग्रस्त भूमि से प्रतिवादी का कोई संबंध नहीं है। वियंत सिंह से विक्रय पत्र निष्पादित कराने के बाद प्रतिवादीगण ने क्रयशुदा भूमि में पुराना निर्माण तोड़कर नवीन निर्माण करने के आशय से पिलर बनाना शुरू कर दिया है। प्रतिवादीगण द्वारा वादग्रस्त जगह पर निर्माण तोड़ने का प्रयास दिनांक : 31/12/2014 को किया, जिसे वादीगण ने रोका। तब प्रतिवादीगण ने आश्वासन दिया कि वह वादीगण की जमीन छोड़कर निर्माण करेंगे।

(04). स्वीकृत तथ्यों से इतर वादीगण के शेष अभिवचन संक्षेप में सारत : इस प्रकार हैं कि प्रतिवादीगण ने दिनांक : 20/02/2015 को वादग्रस्तस्थल पर बने निर्माण को तोड़कर क्रयशुदा भाग से 05 इंच अधिक जगह दबाकर दीवाल बनाकर, अधूरी छोड़ दी है, जिससे वादीगण को 2000/- रुपये की क्षति हुई है। दिनांक : 04/04/2015 को वादीगण ने प्रतिवादीगण से कहा कि हमारी 05 इंच जगह दबाकर दीवाल क्यों बनाई, तो प्रतिवादीगण ने धमकी दी कि अभी तो पाँच इंच दबाई है, आगे 24 फुट 10 इंच जो बची है, उसे भी दबाकर पूरी दीवाल बनायेगें और वादग्रस्त जगह पर जबरन कब्जा करेंगे, छत भी डालेंगे, वादीगण को दिखे सो करें। अतः वादीगण द्वारा वाद प्रस्तुत कर निवेदन है कि यह घोषित किया जाये कि वादीगण वादग्रस्त भूमि के स्वामी एवं आधिपत्यधारी हैं एवं प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा के माध्यम से निषेधित किया जाये कि वह वादग्रस्त भूमि पर ना तो कोई नवीन निर्माण कार्य करें और ना वादीगण के कब्जा वर्ताव में कोई बाधा उत्पन्न करें, ना किसी अन्य के माध्यम से कराये और दो हजार रुपये क्षतिपूर्ति के रूप में वादीगण को प्रदान करें।

(05). स्वीकृत तथ्यों से इतर वादीगण के समस्त अभिवचनों को विनिर्दिष्ट रूप से अस्वीकार करते हुए प्रतिवादीगण द्वारा वादोत्तर में किये गये अभिवचन संक्षेप में सारतः इस प्रकार हैं कि वादग्रस्त भूमि वादीगण के स्वामित्व एवं आधिपत्य की नहीं है, बल्कि प्रतिवादीगण द्वारा वियंत सिंह से कयशुदा भूमि का भाग है। वादग्रस्तस्थल पर कभी भी कोई पूजा गृह नहीं था। वादग्रस्तस्थल पर कभी भी वादीगण का कब्जा नहीं रहा। वादग्रस्त भूमि वियंत सिंह के स्वामित्व एवं आधिपत्य की थी, जिसका विक्रय पत्र वियंत सिंह ने प्रतिवादीगण के पक्ष में विधिवत् रूप से किया है। वास्तविकता यह है कि प्रतिवादी क्रमांक 01 द्वारा वादग्रस्त स्थल के अलावा अन्य जगह कय की गई थी, जिस पर कुछ पुराना क्षीण-शीर्ण निर्माण था, जिसे हटाकर सम्पूर्ण कयशुदा भूमि को समतल कर नवीन निर्माण किया जा रहा है। दिनांक : 31/12/2014, 20/02/2015 या 04/04/2015 या कभी भी प्रतिवादीगण की वादीगण से वादग्रस्त भूमि के संबंध में कोई बातचीत नहीं हुई। वादीगण को 2000/- रुपये का कोई नुकसान कभी नहीं हुआ। वादीगण द्वारा यह आवेदन प्रतिवादीगण को निर्माण कार्य करने से अवैध रूप से रोके जाने के संबंध में प्रस्तुत किया गया है। फलतः उपरोक्तानुसार वादीगण का वाद सव्यय निरस्त किया जाये।

(06). उभयपक्षों के अभिवचनों के आधार पर दिनांक :- 25/01/2016 को वाद-प्रश्न विरचित किये गये, जो कि निम्नलिखित हैं, जिनके समक्ष विवेचना के उपरान्त निष्कर्ष अंकित किए गये हैं :-

क्रमांक	वाद प्रश्न	निष्कर्ष
01.	क्या वादीगण वार्ड क्रमांक 14 गोहद, में स्थित वादग्रस्त भूमि पूर्व-पश्चिम लम्बाई 24 फुट एवं उत्तर-दक्षिण चौड़ाई 01 फुट 03 इंच, जिसे वादपत्र के साथ संलग्न नक्शे में लालस्याही से अ, ब, स से चिह्नित किया गया है, के स्वामी एवं आधिपत्यधारी है?	“अप्रमाणित”
02.	क्या प्रतिवादीगण द्वारा वादग्रस्त भूमि में निर्माण कर वादग्रस्त भूमि में निहित वादीगण के अधिकारों में अवैध रूप से हस्तक्षेप किया जा रहा है?	“अप्रमाणित”
03.	क्या प्रतिवादीगण द्वारा वादग्रस्त भूमि में निर्माण कर वादीगण को 2,000 रुपये की क्षति कारित की गई?	“अप्रमाणित”
04.	क्या वादीगण द्वारा वाद का समुचित मूल्यांकन कर पर्याप्त न्यायशुल्क अदा किया गया है?	“प्रमाणित”

05. क्या वाद में आवश्यक पक्षकारों के अंसयोजन अथवा “अप्रमाणित” अनावश्यक पक्षकार के कुसंयोजन का दोष है?
06. अंतिम निष्कर्ष एवं व्यय? वाद निर्णय के पद क्रमांक 16 के अनुसार अप्रमाणित पाये जाने से निरस्त किया गया।

// निष्कर्ष एवं आधार //

वाद प्रश्न क्रमांक : 01

(07). इस वाद प्रश्न के संदर्भ में वादी क्रमांक 03 सरजीत सिंह वा.सा. 01 ने उसके अभिवचनों के अनुरूप शपथ पत्रीय मुख्य परीक्षण कथन प्रस्तुत किया है। वादीगण ने उनके वाद के समर्थन में वियंत सिंह द्वारा प्रतिवादी सुमन के पक्ष में निष्पादित विक्रय पत्र दिनांक : 28/07/2014 की प्रमाणित प्रतिलिपि प्र.पी.01, न्यायालय माननीय अपर सत्र न्यायाधीश गोहद के प्रकरण क्रमांक 35-ए/1992 में लोक अदालत में पारित निर्णय दिनांक : 20/09/1998 की प्रमाणित प्रतिलिपि प्र.पी.02, उक्त प्रकरण की डिक्री की प्रमाणित प्रतिलिपि प्र.पी.03, उक्त प्रकरण में प्रस्तुत राजीनामा दिनांक : 20/09/1998 की प्रमाणित प्रतिलिपि प्र.पी.04 एवं राजीनामे के साथ संलग्न नक्शे की प्रमाणित प्रतिलिपि प्र.पी.05 प्रस्तुत की है।

(08). वादीगण ने उनके अभिवचनों में स्पष्ट रूप से दर्शित किया है कि न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश गोहद के व्यवहार वाद क्रमांक 35-ए/1992 में हुये समझौते के अनुसार उक्त वाद के प्रतिवादी क्रमांक 06 वियंत सिंह को मुन्ना टेन्ट वाले की दीवाल से सटी हुई पूर्व से पश्चिम की ओर 52 फुट 08 इंच लम्बी तथा उत्तर से दक्षिण की ओर 13 फुट 09 इंच चौड़ी भूमि प्रदान की गई थी और वादीगण की ओर से प्रस्तुत विक्रय पत्र दिनांक : 28/07/2014 की प्रमाणित प्रतिलिपि प्र.पी.01 के अनुसार वियंत सिंह ने मुन्ना टेन्ट वाले की दीवाल से सटी हुई पूर्व से पश्चिम की ओर 52 फुट 08 इंच लम्बी तथा उत्तर से दक्षिण की ओर 13 फुट 09 इंच चौड़ी भूमि ही प्रतिवादी क्रमांक 01 सुमन सोनी को विक्रय की है, ना कि वियंत सिंह को उक्त बंटवारे में प्राप्त भूमि के अलावा या उससे अधिक कोई भूमि। वादीगण द्वारा प्रस्तुत उक्त व्यवहार वाद क्रमांक 35-ए/1992 में प्रस्तुत राजीनामा की प्रमाणित प्रतिलिपि प्र.पी.04 एवं नक्शे की प्रमाणित प्रतिलिपि प्र.पी.05 में वियंत सिंह को प्रदत्त भूमि भाग के नक्शे में ऐसा कोई तिकौना स्थान दर्शित नहीं किया गया है, जो कि वियंत सिंह को प्रदत्त न किया जाकर वादीगण या उनके पिता प्रीतम सिंह को प्रदत्त किया गया हो, जैसा कि वाद पत्र के साथ संलग्न नक्शे में लाल स्याही से अ, ब, स से चिह्नित भाग वादग्रस्त भूमि के रूप में दर्शित किया गया है। वादी द्वारा उनके वाद-पत्र के साथ संलग्न

नक्शे में अ, ब, स से चिन्हित वादग्रस्त भाग त्रिभुजाकार होना दर्शित होता है, जबकि वादी के अभिवचनों में दर्शित लम्बाई चौड़ाई से वादग्रस्त भूमि चर्तुभुजाकार होना दर्शित होती है। इस प्रकार वादग्रस्त भूमि त्रिभुजाकार है, अथवा चर्तुभुजाकार इस वावत् वादी के स्वयं के अभिवचनों एवं वाद-पत्र के साथ संलग्न नक्शे के तथ्यों में विरोधाभास है।

(09). वादी की ओर से प्रस्तुत व्यवहार वाद क्रमांक 35-ए/1992 में प्रस्तुत राजीनामा प्र.पी.04 के पद क्रमांक 01 के अनुसार उक्त राजीनामे के साथ संलग्न नक्शा प्र.पी.05 में नीली स्याही से अंकित भवन भाग वादीगण एवं उनकी माँ प्रकाश कौर को प्रदान किया गया है एवं काली स्याही से दर्शित भवन भाग उक्त प्रकरण के प्रतिवादी क्रमांक 06 वियंत सिंह को प्रदान किया गया था। राजीनामा प्र.पी.04 के पद क्रमांक 01 में यह भी उल्लेख है कि उसके साथ संलग्न नक्शा प्र.पी.05 में उक्त प्रकरण के प्रतिवादी क्रमांक 08 भगवान सिंह का हिस्सा लाल स्याही से दर्शित किया गया है। नक्शा प्र.पी.05 के अवलोकन से यह दर्शित होता है कि उक्त राजीनामा प्र.पी.04 के अनुसार वादीगण एवं उनकी माँ प्रकाश कौर को प्रदत्त नीली स्याही से चिन्हित भवन भाग एवं वियंत सिंह को प्रदत्त काली स्याही से चिन्हित भवन भाग के मध्य लाल स्याही से चिन्हित भगवान सिंह को प्रदत्त भवन भाग मौजूद है। इस प्रकार उक्त राजीनामा प्र.पी.04 एवं नक्शा प्र.पी.05 के अनुसार वादीगण को प्रदत्त भवन भाग एवं वियंत सिंह प्रति.सा.02 को प्रदत्त भवन भाग एवं दूसरे से किसी भी स्थान पर सटे हुए नहीं है, बल्कि उनके मध्य भगवान सिंह को प्रदत्त भवन भाग मौजूद है। इसलिए यह नहीं माना जा सकता कि वियंत सिंह को प्रदत्त भवन भाग एवं वादीगण को प्रदत्त भवन भाग के मध्य कहीं पर कोई तिकौना वादग्रस्त स्थल अस्तित्वमान हो। उल्लेखनीय है कि नक्शा प्र.पी.05 में दर्शित वादीगण, भगवान सिंह एवं वियंत सिंह को प्रदत्त तीनों ही भवन भाग चौकौर हैं। उक्त नक्शे में कहीं पर भी वादीगण को प्रदत्त भवन भाग एवं वियंत सिंह प्रति.सा.02 को प्रदत्त भवन भाग के मध्य कोई तिकौना स्थान दर्शित नहीं किया गया है। उल्लेखनीय यह भी है कि हस्तगत प्रकरण में वादग्रस्त भूमि वही है जो उक्त प्रकरण के प्रतिवादी क्रमांक 06 वियंत सिंह को उक्त राजीनामे के अनुसार प्राप्त हुई थी, जो कि उसके द्वारा हस्तगत प्रकरण की प्रतिवादी सुमन सोनी को विक्रय पत्र दिनांक : 28/07/2014 प्र.डी.01 के माध्यम से विक्रय की गई है।

(10). अन्तिम तर्क के दौरान वादी अधिवक्ता द्वारा व्यक्त किया गया कि वियंत सिंह प्रति.सा.02 ने राजीनामा प्र.पी.04 के पद क्रमांक 03 में उल्लेखित शर्त का पालन ना करते हुए वादीगण को वादग्रस्त भूमि अग्रक्रयाधिकार के आधार पर क्रय करने का अवसर नहीं दिया है। राजीनामा प्र.पी.04 के पद क्रमांक 03 का अवलोकन किया गया, जिसमें यह उल्लेख है कि उक्त राजीनामे का कोई पक्षकार उसके हिस्से की मकानियत का विक्रय करना चाहे तो इस बंटवारे अर्थात् राजीनामा प्र.पी.04 के अन्य पक्षकारों को अग्रक्रयाधिकार प्राप्त होगा। राजीनामा के अन्य पक्षकारों द्वारा क्रय ना करने की

दशा में ही अन्य व्यक्ति को मकान बेचने का अधिकार होगा और इस वावत् मकान बेचते समय राजीनामे के अन्य पक्षकारों को लिखित सूचना दिया जाना अनिवार्य होगा। वियंत सिंह प्रति.सा.02 ने प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 06 में यह दर्शित किया है कि उसने वादीगण को विक्रय पत्र प्र.डी.01 के निष्पादन की सूचना दी थी। वियंत सिंह प्रति.सा.02 ने वादी अधिवक्ता के इस सुझाव से इन्कार किया है कि उसने विक्रय पत्र प्र.डी.01 गलत रूप से निष्पादित कर दिया है। साक्षी ने इस सुझाव से भी इन्कार किया है कि उसे पहले वादीगण को अवसर देना था। प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन से यह दर्शित होता है कि प्रतिवादीगण की ओर से ऐसा कोई सूचना पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया, जो कि राजीनामा प्र.पी.04 की पद क्रमांक 03 के उपबंधों के अनुपालन में विक्रय पत्र प्र.डी.01 के निष्पादन के पूर्व विक्रेता वियंत सिंह प्रति.सा.02 द्वारा वादीगण को दिया गया हो। इससे यह दर्शित होता है कि उपरोक्तानुसार नोटिस ना देकर विक्रेता वियंत सिंह प्रति.सा.02 द्वारा राजीनामा प्र.पी.04 की पद क्रमांक 03 के उपबंध का अनुपालन नहीं किया गया है। परन्तु उल्लेखनीय यह है कि वादीगण द्वारा हस्तगत वाद विक्रेता वियंत सिंह प्रति.सा.02 के विरुद्ध प्रस्तुत नहीं किया गया है और ना ही हस्तगत वाद अग्रक्रयाधिकार के प्रवर्तन का वाद है। वादीगण यदि चाहते तो वह वियंत सिंह के विरुद्ध अग्रक्रयाधिकार के प्रवर्तन का वाद प्रस्तुत कर सकते थे, जो कि उनके द्वारा नहीं किया गया। इसलिए इस वावत् वादी अधिवक्ता के तर्क स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

(11). वादीगण द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज या अन्य साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई, जिससे यह दर्शित होता हो कि वादग्रस्त स्थल पर कोई पूजा गृह हो या पूर्व में रहा हो, जिसके वादीगण स्वामी एवं आधिपत्यधारी रहे हो। फलतः उपरोक्त विवेचना के आलोक में न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि वादीगण यह प्रमाणित करने में असफल रहे हैं कि वह वार्ड क्रमांक 14 गोहद, में स्थित वादग्रस्त भूमि पूर्व-पश्चिम लम्बाई 24 फुट एवं उत्तर-दक्षिण चौड़ाई 01 फुट 03 इंच, जिसे वादपत्र के साथ संलग्न नक्शे में लालस्याही से अ, ब, स से चिन्हित किया गया है, के स्वामी एवं आधिपत्यधारी हैं। फलतः इस वाद प्रश्न का निष्कर्ष “अप्रमाणित” के रूप में दिया जाता है।

वाद प्रश्न क्रमांक : 02

(12). चूँकि वाद प्रश्न क्रमांक 01 के निष्कर्ष के अनुसार वादीगण को वादग्रस्त भूमि को स्वामी एवं आधिपत्यधारी होना प्रमाणित नहीं पाया गया है, इसलिए प्रतिवादीगण द्वारा वादग्रस्त भूमि में निर्माण कर वादग्रस्त भूमि में निहित वादीगण के अधिकारों में अवैध रूप से हस्तक्षेप करने का कोई प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है। फलतः इस वाद प्रश्न का निष्कर्ष भी “अप्रमाणित” के रूप में दिया जाता है।

वाद प्रश्न क्रमांक : 03

(13). चूँकि वाद प्रश्न क्रमांक 01 के निष्कर्ष के अनुसार वादीगण को वादग्रस्त भूमि को स्वामी एवं आधिपत्यधारी होना प्रमाणित नहीं पाया गया है, इसलिए प्रतिवादीगण द्वारा वादग्रस्त भूमि में निर्माण कर वादीगण को 2,000 रुपये की क्षति कारित करने का कोई प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है। फलतः इस वाद प्रश्न का निष्कर्ष भी “अप्रमाणित” के रूप में दिया जाता है।

वाद प्रश्न क्रमांक : 04

(14). हस्तगत स्वत्व घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा के अनुतोष बावत प्रस्तुत किया गया है। स्वत्व घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा के अनुतोष के वाद में वाद मूल्यांकन का सिद्धान्त धारा :- 7 (IV) c न्यायालय शुल्क अधिनियम में उपबंधित है जिसके अनुसार वादी को उनके द्वारा चाहे गये अनुतोष के मूल्यांकन करने की स्वतंत्रता है तथा उसे किये गये मूल्यांकन पर मूल्यानुसार न्यायशुल्क अदा करना होता है। वादी द्वारा अनुतोष का कुल मूल्यांकन 2,400/- रुपये निर्धारित किया गया है तथा मूल्यानुसार 600/- रुपये न्यायशुल्क अदा किया गया है, जो कि उचित एवं पर्याप्त है। फलतः इस वाद प्रश्न का निष्कर्ष “प्रमाणित” के रूप में विनिश्चित किया जाता है।

वाद प्रश्न क्रमांक : 05

(15). इस वाद प्रश्न के संबंध में प्रतिवादीगण का उनके अभिवचनों में कहना है कि प्रतिवादी क्रमांक 01 द्वारा वादग्रस्त जगह विंयत सिंह से क़य की गई है, इसलिए विंयत सिंह प्रकरण में आवश्यक पक्षकार है, जिसे वादी द्वारा वाद में पक्षकार के रूप में संयोजित नहीं किया गया है। इसलिए वाद में आवश्यक पक्षकार के असंयोजन का दोष है। इस वावत् प्रतिवादीगण के उक्त अभिवचनों के संबंध में वादीगण ने एक आवेदन अन्तर्गत आदेश 01 नियम 10 सीपीसी दिनांक : 09/11/2016 को विक्रेता विंयत सिंह को प्रतिवादी क्रमांक 03 के रूप में संयोजित किये जाने वावत् प्रस्तुत किया था। जिसका निराकरण इस न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक : 16/01/2017 के माध्यम से किया गया। जिसमें इस न्यायालय द्वारा विंयत सिंह को प्रकरण का आवश्यक पक्षकार होना प्रमाणित ना पाते हुए वादीगण का आवेदन निरस्त किया गया था। इसलिए वर्तमान प्रार्थिति पर पृथक से इस वावत् निराकरण किये जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। फलतः उपरोक्त विवेचना के आलोक में न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि प्रतिवादीगण यह प्रमाणित करने में असफल रहे हैं कि वाद में आवश्यक पक्षकारों के असंयोजन अथवा अनावश्यक पक्षकार के कुसंयोजन का दोष है। फलतः इस वाद प्रश्न का निष्कर्ष “अप्रमाणित” के रूप में दिया जाता है।

{ अंतिम निष्कर्ष एवं व्यय }

- (16). उपरोक्त साक्ष्य विवेचना से यह स्पष्ट है कि वादीगण उनका वाद प्रमाणित करने में असफल रहा हैं। फलतः वादीगण का वाद निरस्त किया जाता है।
- (17). वादीगण स्वयं के साथ-साथ प्रतिवादीगण का भी वाद-व्यय वहन करेंगे।
- (18). अभिभाषक शुल्क म.प्र. व्यवहार न्यायालय नियम 1961 के नियम 523 के अनुसार अथवा प्रमाणित किये जाने पर दोनों में से जो भी कम हो देय होगा।
- (19). तदनुसार जय पत्र बनाया जावे।

निर्णय आज दिनांकित एवं
हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशानुसार टंकित किया।

(पंकज शर्मा)
तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2
गोहद जिला भिण्ड, म.प्र.

(पंकज शर्मा)
तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2
गोहद जिला भिण्ड, म.प्र.